बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संख्या–3 / प्र0 / सड़क सुरक्षा निधि–14 / 2016 1625 दिनांक–30/3/2017

अधिसूचना

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 द्वारा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग एवं 6घ का अंतः स्थापन अधिसूचना संख्या एल0 जी0–01–12 / 2016 / 158–लेज दिनांक 16.08.2016 द्वारा किया गया है। अधिनियम की धारा 6ख (1) में उपबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो **"बिहार सड़क सुरक्षा निधि"** कहलाएगी। इस निधि के स्रोत्रों एवं उपयोग का प्रावधान अधिनियम की धारा 6क एवं 6ख में किया गया है। धारा 6घ में निधि को "राज्य परिषद्" (राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्) में निहित करते हुए इसे राज्य परिषद् द्वारा ही संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी राशियाँ जो निधि के हिस्से की हैं, उसी बैंक में जमा की जायेंगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अन्य करों की प्राप्तियाँ जमा की जाती है अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और खाता ऐसी रीति से संचालित किया जाएगा जो राज्य परिषद् विनिश्चित करे।

(2) निधि का स्रोत्र निम्नवत है–

(i) धारा "6क, की निम्नलिखित प्रावधानो के अन्तर्गत

(क) अनुज्ञप्तिधारी से इस अधिनियम की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों ;

(ख) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानो के अनुसार एक मुश्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहनों से "वाहन मूल्य" का एक प्रतिशत;

(ग) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानो के अनुसार से इतर कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहन के "वार्षिक कर" का एक प्रतिशत;

(घ) स्पष्टीकरण की उपधारा (4) के अनुसार उपरोक्त उपधारा के अधीन उद्गृहीत उपकर का संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति चूक के लिए उपकर के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में हरेक माह में देय उपकर के 2.5% के बराबर की राशि अथवा उसके किसी भाग का संदाय करेगा।

(ii) धारा 6ख (2) के अन्तर्गत

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम;

(ग) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम;

(घ) निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं अथवा संगठनों से प्राप्त अंशदान।

(iii) धारा 6ख (3) के अर्न्तगत

राज्य सरकार हरेक वर्ष निधि में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59,1988) की धारा 200 के अधीन पूर्व वर्ष में उद्‌गृहित संयोजित फीस के दस प्रतिशत के बराबर की राशि अंशदान करेगी।

(3) उपर्युक्त के अनुपालन में राज्य सरकार की अनुशंसा पर महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना द्वारा दो प्राप्ति उपशीर्ष एवं तीन व्यय उपशीर्ष के गठन की सहमति प्रदान की गई है, जो निम्नवत है–

क्रम सं0	मुख्यशीर्ष	उप मुख्यशीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष का नाम एवं विपत्र कोड सं0
1	0041– वाहन कर	00	101– भारतीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	0003–वाहन पर शमन से प्राप्तियाँ जिसका विपत्र कोड संख्या–R–0041001010003 है।
2	0041– वाहन कर	00	102– राज्य के मोटरयान कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	0002–सड़क सुरक्षा उपकर जिसका विपत्र कोड संख्या–R–0041001020002 है।
3	2041– वाहन कर	00	101 संग्रहण प्रभार	0003–बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंशदान जिसका विपत्र कोड संख्या–N–2041001010003 है।
4	2041– वाहन कर	00	101– संग्रहण प्रभार	0005–सड़क सुरक्षा उपकर से प्राप्ति का अंशदान जिसका विपत्र कोड संख्या–47–2041001010005 है।
5	2041– वाहन कर	00	101– संग्रहण प्रभार	0004–बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् का अनुदान जिसका विपत्र कोड संख्या–N–2041001010004 है।

(4) विपत्र कोड संख्या–R–0041001010003 में शमन से प्राप्त कुल राशि इस रीति से जमा किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त वास्तविक राशि की गणना किया जाना सम्भव हो सके ताकि इस राशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि का सड़क सुरक्षा निधि में अंशदान किया जा सके।

(5) विपत्र कोड संख्या–R–0041001020002 में सड़क सुरक्षा मद में उपकर से प्राप्त राशि संग्रहित की जायेगी।

(6) विपत्र कोड संख्या– N–2041001010003 में गत् वित्तीय वर्ष में इस मद में शमन से प्राप्त वास्तविक राशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान से किया जायेगा। इस व्यय उपशीर्ष में प्राप्त राशि की निकासी कर सड़क सुरक्षा निधि के निमित खोले गए बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

(7) विपत्र कोड संख्या–47–2041001010005 में सड़क सुरक्षा निधि हेतु उपकर से प्राप्त राशि सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान से प्राप्त की जायेगी। इस व्यय उपशीर्ष में प्राप्त राशि की निकासी कर सड़क सुरक्षा निधि के निमित बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

(8) बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6ख (2) (ख) मद में प्राप्त राशि को व्यय मुख्यशीर्ष 2041–वाहन कर, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–101–संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष–0004– बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् का अनुदान जिसका विपत्र कोड संख्या–N–2041001010004 है, में प्राप्त की जायेगी और इस व्यय उपशीर्ष में प्राप्त राशि की निकासी कर सड़क सुरक्षा निधि को उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6ख (2) (ग एवं घ) मद में प्राप्त राशि को सीधे बिहार सड़क सुरक्षा निधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैय्या भवन, बेली रोड, पटना स्थित **खाता** में संग्रहित की जायेगी।

(10) बिहार सड़क सुरक्षा निधि हेतु बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैय्या भवन, बेली रोड, पटना स्थित **खाता संख्या–36614020208** होगा और सड़क सुरक्षा निधि मद में प्राप्त सभी राशि इसी खाते में जमा किया जायेगा।

(11) जिला परिवहन कार्यालयों में सड़क सुरक्षा निधि मद में प्राप्त राशि के लिए पूर्व से ही सहायक रोकड़ पंजी का मदवार संधारण किया जा रहा है, एवं भविष्य में भी किया जायेगा।

(12) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, बिहार चेप्टर, पटना द्वारा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में सड़क सुरक्षा निधि हेतु किए गए उपबंध का वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में एतद् अनुरूप प्रावधान करना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि सड़क सुरक्षा मद में प्राप्त राजस्व का मदवार समेकित गणना की जा सके। इस कार्य हेतु पूर्व में ही राज्य सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, बिहार, पटना को संसूचित किया गया है।

(13) सड़क सुरक्षा निधि मद में संग्रहित राशि एवं सरकारी खाते में जमा करने में आनेवाली व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु, प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आदेश से, कार्यपालक आदेश द्वारा सभी संबंधित को आवश्यकतानुसार निदेश दिया जा सकेगा।

30/3

(14) बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6ख (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्रावधानों एवं शर्तो के अधीन "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" को अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत मानी जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

30/3/17

(सुजाता चतुर्वेदी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 1625 पटना, दिनांक–30/3/2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ह0 एवं दे0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बिहार एवं ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग (अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) सौ मुद्रित प्रति उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ)/राज्य सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, टेक्नॉलाजी भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रधान सचिव, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग को इस निदेश के साथ सूचनार्थ कि वे इस अधिसूचना को विभागीय बेवसाइट पर एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

30/3/17

(सुजाता चतुर्वेदी)
सरकार के प्रधान सचिव।